

# कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-09/2024

दिनांक 03/10/2024

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,  
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्या: वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720, दिनांक: जून 04, 2020 व पत्र संख्या: 41/6-पु-3/2020, दिनांक: 04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 02.10.2024 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

**01. थाना कोतवाली गाजीपुर पुलिस द्वारा कुल 63.00 किग्रा गोमांस, 02 अदद लोहे की बांकी, 04 अदद लोहे का चाकू, 01 अदद लोहे की कुल्हाड़ी, 02 अदद गोमांस काटने का लकड़ी का गुटका(ठीहा) बरामदगी करते हुए गोकशी के 01 नफर अभियुक्त व 01 नफर अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया ।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत चेकिंग के दौरान दिनांक 01.10.2024 को ग्राम चौकिया से मुखबिरी सूचना के आधार पर अभियुक्त 1. परवेज उर्फ बब्बल पुत्र स्व0 सलीम कुरैशी निवासी ग्राम चौकिया थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर व अभियुक्ता 2. शबनम पत्नी परवेज उर्फ बब्बल निवासी ग्राम चौकिया थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को समय 15.45 बजे गिरफ्तार किया गया एवं इनके पास से कुल 63.00 किग्रा गोमांस, 02 अदद लोहे की बांकी, 04 अदद लोहे का चाकू, 01 अदद लोहे की कुल्हाड़ी, 02 अदद गोमांस काटने का लकड़ी का गुटका(ठीहा) बरामद किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 493/2024 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**विवरण पूछताछ:-** साहब हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गयी । हम लोग चोरी छिपे रात बिरात समय देखकर गाय बछड़ों को ले आकर रात में ही काट कर उनके मलवे को बोरी में भर कर पास के ही तालाब में ले जाकर फेंक देते हैं जिससे आस पास के लोग भी नहीं जान पाते हैं और केवल गोमांस को चोरी छिपे ही बेचते हैं। इस गोमांस को बेचने के लिये छोटे-छोटे टुकड़े कर उन्हें तौल कर बेचते हैं ।

## **गिरफ्तारशुदा अभियुक्त/अभियुक्ता का नाम पता**

1. परवेज उर्फ बब्बल पुत्र स्व0 सलीम कुरैशी निवासी ग्राम चौकिया थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 35 वर्ष
2. शबनम पत्नी परवेज उर्फ बब्बल निवासी ग्राम चौकिया थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 30 वर्ष

## आपराधिक इतिहास – अभियुक्त परवेज उर्फ बबबल उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 493/2024 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 605/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर अधि0 थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
3. मु0अ0सं0 443/2018 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

## आपराधिक इतिहास – अभियुक्ता शबनम उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 493/2024 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

## बरामदगी –

1. 63.00 किग्रा गोमांस,
2. 02 अदद लोहे की बांकी,
3. 04 अदद लोहे का चाकू,
4. 01 अदद लोहे की कुल्हाड़ी,
5. 02 अदद गोमांस काटने का लकड़ी का गुटका (ठीहा)

## 02. थाना भांवरकोल पुलिस टीम द्वारा भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए 02 नफर

### अन्तर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध सघन अभियान के तहत थानाध्यक्ष विवेक कुमार तिवारी मय हमराह का0 देवेन्द्र कुमार , का0 गौरव राय मय सरकारी वाहन संख्या यू पी 70एजी 2962 चालक का0 कमलेश यादव के दिनांक 02.10.2024 के वीरपुर तिराहे पर चेकिंग कर रहे थे कि मुखबिर खास ने आकर सूचना दिया कि गाजीपुर की तरफ से एक ट्रक जिसके बाडी पर UP54AT5665 लाल रंग से पिछले बम्पर पर लिखा है। जो अवैध शराब लादकर बिहार जाने वाला है। यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर रात्रि गस्त में मामूर उ0नि0 श्री राजकुमार यादव मय हमराह व उ0नि0 श्री दयाशंकर सिंह व चीता मो0 कर्मचारीगण का0 राजू कुमार व का0 पवन कुमार सिंह को भारत पेट्रोलियम अजईपुर पर तलब कर चेकिंग किया जा रहा था कि दौराने चेकिंग मुखबिर खास ने एक ट्रक को इशारा कर हट बढ गया। जिसको रोकवाकर चेक किया गया तो ट्रक से 100 पेटी 8PM अंग्रेजी शराब कुल (4800टेट्रा पैक) कीमत लगभग 6,00,000 रुपये का बरामद हुआ। जिस पर लिखे नम्बर को ई चालान एप्प से चेक किया गया तो उक्त नम्बर फर्जी पाया गया। मौके से बरामदशुदा वाहन व शराब को कब्जे में लिया गया एवं मौके से दो अन्तर्राज्यीय शराब तस्कर को समय करीब 01.45 बजे गिरफ्तार किया गया। सम्बन्धित अभियुक्तगण को थाने पर लाकर उनके विरुद्ध अभियोग मु0अ0सं0 161/24 धारा 60,72 आबकारी अधि0 व 318(4),319(2) बीएनएस पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम पता-

1. राजेश कुमार राय पुत्र सीताराम निवासी भातुचकिया थाना बड़हरा जनपद आरा भोजपुर बिहार उम्र 23 वर्ष
2. छोटक कुमार उर्फ टुकुडू पुत्र पुत्तुल महतो निवासी बबुरा थाना बड़हरा जनपद आरा भोजपुर बिहार उम्र 27 वर्ष

### आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 161/24 धारा 60,72 आबकारी अधि0 व 318(4),319(2) बीएनएस भांवरकोल जनपद गाजीपुर

### **बरामदगी**

1. एक अदद ट्रक10 चक्का फर्जी नम्बर
2. 100 पेटी 8PM अंग्रेजी शराब कुल (4800 टेद्रा पैक) कीमत लगभग 6,00,000 रुपये(छः लाख रुपये)
3. दो अदद मोबाइल की पैड

### **03. थाना नोनहरा पुलिस टीम द्वारा मोटर साइकिल चोरी तथा मोबाइल छीनने वाले 02 नफर अभियुक्तों को मोटर साइकिल व मोबाइल की बरामदगी करते हुए गिरफ्तार किया गया।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 29.09.2024 को थाना नोनहरा अन्तर्गत नोनहरा लाइब्रेरी पढ़ने जाते समय एक लड़की से मोटरसाइकिल वाहन संख्या UP 61 BA 1151 पर सवार दो व्यक्ति द्वारा झपट्टा मारकर मोबाइल छीनने के सम्बन्ध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। दिनांक 02.10.2024 को नोनहरा पुलिस टीम 1. उ0नि0 शिवराज सिंह यादव 2. उ0नि0 अश्वनी प्रताप सिंह 3. का0 आनन्द राही 4.का0 रवि यादव 5. का0 सलिल पटेल के द्वारा मुखबिर की सूचना पर दोनो चोरो क्रमशः 1. विकास भारती पुत्र कविन्द्र राम निवासी ग्राम बसुका थाना गहमर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 18 वर्ष, 2. रामनारायण राम पुत्र शिव कुमार निवासी ग्राम बसुका थाना गहमर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 18 वर्ष को शक्करपुर चट्टी थाना नोनहरा के पास से छीने हुए मोबाइल व चोरी के मोटरसाइकिल वाहन संख्या UP 61BA1151 के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त मोटर साइकिल चोरी के सम्बन्ध में थाना दिलदारनगर में मु0अ0सं0 119/24 धारा 303(2) BNS दिनांक 23.08.2024 को पंजीकृत है। थाना दिलदारनगर को उक्त मोटर साइकिल की बरामदगी के बारे में अवगत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम-पता

- 1.विकास भारती पुत्र कविन्द्र राम निवासी ग्राम बसुका थाना गहमर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 18 वर्ष,
  2. रामनारायण राम पुत्र शिव कुमार निवासी ग्राम बसुका थाना गहमर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 18 वर्ष
- बरामदगी-

एक अदद चोरी का मोबाइल सम्बन्धित मु0अ0सं0 150/2024 धारा 304(2),317(2),318(4),336(2) BNS थाना नोनहरा गाजीपुर

एक चोरी का मोटर साइकिल मु0अ0सं0 119/24 धारा 303(2) BNS दिनांक 23.08.2024 थाना दिलदारनगर गाजीपुर

अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास-

- 1.विकास भारती पुत्र कविन्द्र राम निवासी ग्राम बसुका थाना गहमर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 18 वर्ष, मु0अ0सं0 150/2024 धारा 304(2),317(2),318(4),336(2) BNS थाना नोनहरा गाजीपुर मु0अ0सं0 119/24 धारा 303(2) BNS दिनांक 23.08.2024 थाना दिलदारनगर गाजीपुर
2. रामनारायण राम पुत्र शिव कुमार निवासी ग्राम बसुका थाना गहमर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 18 वर्ष मु0अ0सं0 150/2024 धारा 304(2),317(2),318(4),336(2) BNS थाना नोनहरा गाजीपुर मु0अ0सं0 119/24 धारा 303(2) BNS थाना दिलदारनगर गाजीपुर

04. थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर द्वारा कूटरचित तरीके से फर्जी परिचय पत्र देने व नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करके करीब 15 लाख रू0 व 10 लाख रू0 की जमीन लेने के गिरोह के खिलाफ मु0अ0सं0 92/2024 धारा 61(2),319(2),318,336(3),338,352,351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर के माध्यम से प्राप्त प्रार्थना पत्र वादी विदेशी चौधरी पुत्र चन्द्रजीत चौधरी निवासी ग्राम परमानन्दपुर उर्फ नगदिलपुर थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर मो0न0 6306796160 व अन्य के साथ प्रतिवादी द्वारा कूटरचित तरीके से फर्जी परिचय पत्र (Rural Works Department Govt of Bihar) देने व नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करके करीब 15 लाख रू0 व 10 लाख रू0 की जमीन लेने व माँगने पर वापस करने से इंकार करने तथा गाली-गुप्ता देने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दिनांक 01.10.2024 को थाना हाजा पर मु0अ0सं0 92/2024 धारा 61(2),319(2),318,336(3),338,352,351(3) बीएनएस थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर बनाम 1. विनोद कुमार गुप्ता पुत्र उमाशंकर गुप्ता निवासी ग्राम ऊँ श्री बक्शू बाबा एकेडमी नगदिलपुर संचालक थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर 02. विपिन यादव पुत्र शिवमुनी यादव निवासीगण ग्राम नगदिलपुर उर्फ दुल्लहपुर थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर 03. नेहा कुमारी 04. साक्षी गुप्ता 05. नीतू समस्त निवासीगण अज्ञात पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

05. थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर द्वारा कूटरचित तरीके से फर्जी परिचय पत्र देने व नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करके करीब 15 लाख रू0 व 10 लाख रू0 की जमीन लेने के गिरोह के खिलाफ मु0अ0सं0 92/2024 धारा 61(2),319(2),318,336(3),338,352,351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर के माध्यम से प्राप्त प्रार्थना पत्र वादी विदेशी चौधरी पुत्र चन्द्रजीत चौधरी निवासी ग्राम परमानन्दपुर उर्फ नगदिलपुर थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर मो0न0 6306796160 व अन्य के साथ प्रतिवादी द्वारा कूटरचित तरीके से फर्जी परिचय पत्र (Rural Works Department Govt of Bihar) देने व नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करके करीब 15 लाख रू0 व 10 लाख रू0 की जमीन लेने व माँगने पर वापस करने से इंकार करने तथा गाली-गुप्ता देने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दिनांक 01.10.2024 को थाना हाजा पर मु0अ0सं0 92/2024 धारा 61(2),319(2),318,336(3),338,352,351(3) बीएनएस थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर बनाम 1. विनोद कुमार गुप्ता पुत्र उमाशंकर गुप्ता निवासी ग्राम ऊँ श्री बक्शू बाबा एकेडमी नगदिलपुर संचालक थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर 02. विपिन यादव पुत्र शिवमुनी यादव निवासीगण ग्राम नगदिलपुर उर्फ दुल्लहपुर थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर 03. नेहा कुमारी 04. साक्षी गुप्ता 05. नीतू समस्त निवासीगण अज्ञात पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**04-थाना भांवरकोल पुलिस टीम द्वारा भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए 02 नफर अन्तर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया ।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध सघन अभियान के तहत थानाध्यक्ष विवेक कुमार तिवारी मय हमराह का0 देवेन्द्र कुमार , का0 गौरव राय मय सरकारी वाहन संख्या यू पी 70एजी 2962 चालक का0 कमलेश यादव के दिनांक 02.10.2024 के वीरपुर तिराहे पर चेकिंग कर रहे थे कि मुखबिर खास ने आकर सूचना दिया कि गाजीपुर की तरफ से एक ट्रक जिसके बाडी पर UP54AT5665 लाल रंग से पिछले बम्पर पर लिखा है। जो

अवैध शराब लादकर बिहार जाने वाला है। यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर रात्रि गस्त में मामूर उ0नि0 श्री राजकुमार यादव मय हमराह व उ0नि0 श्री दयाशंकर सिंह व चीता मो0 कर्मचारीगण का0 राजू कुमार व का0 पवन कुमार सिंह को भारत पेट्रोलियम अजईपुर पर तलब कर चेकिंग किया जा रहा था कि दौराने चेकिंग मुखबिर खास ने एक ट्रक को इशारा कर हट बढ़ गया। जिसको रोकवाकर चेक किया गया तो ट्रक से 100 पेटी 8PM अंग्रेजी शराब कुल (4800टेटरा पैक) कीमत लगभग 6,00,000 रुपये का बरामद हुआ। जिस पर लिखे नम्बर को ई चालान एप्प से चेक किया गया तो उक्त नम्बर फर्जी पाया गया। मौके से बरामदशुदा वाहन व शराब को कब्जे में लिया गया एवं मौके से दो अन्तर्राज्यीय शराब तस्कर को समय करीब 01.45 बजे गिरफ्तार किया गया। सम्बन्धित अभियुक्तगण को थाने पर लाकर उनके विरुद्ध अभियोग मु0अ0सं0 161/24 धारा 60,72 आबकारी अधि0 व 318(4),319(2) बीएनएस पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम पता-**

1. राजेश कुमार राय पुत्र सीताराम निवासी भातुचकिया थाना बड़हरा जनपद आरा भोजपुर बिहार उम्र 23 वर्ष
2. छोटक कुमार उर्फ टुकुडू पुत्र पुत्तुल महतो निवासी बबुरा थाना बड़हरा जनपद आरा भोजपुर बिहार उम्र 27 वर्ष

### **आपराधिक इतिहास**

1. मु0अ0सं0 161/24 धारा 60,72 आबकारी अधि0 व 318(4),319(2) बीएनएस भांवरकोल जनपद गाजीपुर

### **बरामदगी**

1. एक अदद ट्रक10 चक्का फर्जी नम्बर
2. 100 पेटी 8PM अंग्रेजी शराब कुल (4800 टेटरा पैक) कीमत लगभग 6,00,000 रुपये(छः लाख रुपये)
3. दो अदद मोबाइल की पैड

### **05-थाना करीमुद्दीनपुर पुलिस टीम द्वारा 82 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब कुल 712.08 ली0 व 03 अदद वाहन, 09 नफर अभियुक्त अंतर्गत धारा 60/72 आबकारी अधिनियम गिरफ्तार।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 02.10.2024 को थाना करीमुद्दीनपुर पुलिस को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण के पास से तीन अदद चार पहिया वाहन संख्या UP61AY7889 अल्काजार रंग काला व गाडी संख्या BR44T7193 एक्सटर रंग सफेद तथा तीसरी गाडी संख्या UP60AV2557 एक्सयूवी300 रंग सफेद में शराब रखकर शराब की कुल 82 पेटियाँ जिसमें 8PM के 72 पेटी में प्रत्येक पेटी में 48 पाउच जिसमें कुल पाउच 3456 पाउच जिसमें प्रत्येक पाउच की मात्रा 180ML कुल मात्रा 622.08 लीटर तथा RS के 10 पेटी में प्रत्येक पेटी में 12 अदद शीशी जिसमें कुल शीशी 120 शीशी जिसमें प्रत्येक की मात्रा 750ML कुल 90 लीटर कुल 712.08 ली0 बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 161/2024 धारा 60/72 आ0 अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। बरामद वाहनों को अंतर्गत धारा 207 MV Act सीज किया गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -**

- 1.अमरनाथ राय पुत्र जय प्रकाश राय उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम जोगामुसाहिब थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर
- 2.सद्दाम पुत्र भोला खान उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम रामरेखा घाट थाना बक्सर जनपद बक्सर बिहार

3. आदित्य पुत्र बबलू राम उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम रामरेखा घाट थाना बक्सर जिला बक्सर बिहार
4. मनीष कुमार पुत्र विनय शर्मा उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम रामधनीपुर थाना गोपालपुर जिला पटना बिहार
5. दुर्गेश यादव पुत्र स्व0 राजाराम यादव उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम कचवार थाना रसडा जिला बलिया
6. समीर पुत्र राजू उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम रामरेखा घाट थाना बक्सर जिला बक्सर बिहार
7. अमित चन्द राय उर्फ गोल्डेन राय पुत्र स्व0 शिवनाथ राय उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम जोगामुसाहिब थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर
8. शन्नि सिंह पुत्र कमल सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम कांठ थाना ब्रह्मपुर जिला बक्सर बिहार
9. जय कुमार सिंह पुत्र सतेन्द्र सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम कैथी थाना बगेन गोला जिला बक्सर बिहार

#### **बरामदगी का विवरण –**

1. 82 पेटी (जिसमे 72 पेटी 8 PM के कुल 3456 पाउच तथा धारिता प्रत्येक 180 ml कुल मात्रा 622.08 ली0 एवं 10 पेटी R.S. कुल 120 शीशी जिसमे धारिता प्रत्येक की 750 ml कुल मात्रा 90 ली0 नाजायज अंग्रेजी शराब कुल मिलाकर 8 PM व R.S. कुल 712.08 लीटर अंग्रेजी शराब व तीन अदद वाहन हुंडई अल्काजार UP61AY7889 काली रंग एवं एक्स्टर BR44T7193 सफेद रंग एवं एक्सयूवी 300 UP60AV2557 सफेद रंग वाहन अन्तर्गत धारा 207 एम.वी.एक्ट

**06-थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर द्वारा कूटरचित तरीके से फर्जी परिचय पत्र देने व नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करके करीब 15 लाख रू0 व 10 लाख रू0 की जमीन लेने के गिरोह के खिलाफ मु0अ0सं0 92/2024 धारा 61(2),319(2),318,336(3),338,352,351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर के माध्यम से प्राप्त प्रार्थना पत्र वादी विदेशी चौधरी पुत्र चन्द्रजीत चौधरी निवासी ग्राम परमानन्दपुर उर्फ नगदिलपुर थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर मो0न0 6306796160 व अन्य के साथ प्रतिवादी द्वारा कूटरचित तरीके से फर्जी परिचय पत्र (Rural Works Department Govt of Bihar) देने व नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करके करीब 15 लाख रू0 व 10 लाख रू0 की जमीन लेने व माँगने पर वापस करने से इंकार करने तथा गाली-गुप्ता देने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दिनांक 01.10.2024 को थाना हाजा पर मु0अ0सं0 92/2024 धारा 61(2),319(2),318,336(3),338,352,351(3) बीएनएस थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर बनाम 1. विनोद कुमार गुप्ता पुत्र उमाशंकर गुप्ता निवासी ग्राम उँ श्री बक्शू बाबा एकेडमी नगदिलपुर संचालक थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर 02. विपिन यादव पुत्र शिवमुनी यादव निवासीगण ग्राम नगदिलपुर उर्फ दुल्लहपुर थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर 03. नेहा कुमारी 04. साक्षी गुप्ता 05. नीतू समस्त निवासीगण अज्ञात पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक  
गाजीपुर